



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34863

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3792/2026

सिराजुद्दीन

.....याचीगण

बनाम

आशुतोष प्रजापति एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: सौरभ सिंह, सुरेश कुमार मौर्य

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. आज पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया है, इसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत याची द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में, दिनांक 26.04.2025 को उसके पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था। उपर्युक्त से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात् आशुतोष प्रजापति ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (4) में प्रदान किए गए अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की।
3. चूंकि अपील समय-बाधित थी, इसलिए विलंब क्षमा हेतु एक आवेदन भी दायर किया गया था। उपर्युक्त अपील में याची को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना विलंब क्षमा कर दिया गया और अपील स्वीकार कर ली गई तथा मौके पर यथास्थिति (स्टेटस क्वो) बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
4. यह तर्क दिया गया है कि याची को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना विलंब क्षमा कर दिया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में यथास्थिति की प्रकृति का अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है, परंतु उपर्युक्त आदेश पारित करते समय प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा कोई कारण नहीं बताए गए। उपर्युक्त तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मसूद अहमद खान और अन्य', जो (2010) 9 एससीसी 496 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में पारित निर्णय और आदेश पर भरोसा किया। उपर्युक्त निर्णय का पैराग्राफ-47 यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:-

"47. उपरोक्त चर्चा का सार प्रस्तुत करते हुए, यह न्यायालय यह निर्धारित करता है:

क. भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा कारण दर्ज करने की रही है, यहाँ तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ख. एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारण अवश्य दर्ज करने चाहिए।

ग. कारण दर्ज करने पर जोर देना न्याय के उस व्यापक सिद्धांत की सेवा के लिए है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।

घ. कारण दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध अंकुश के रूप में भी कार्य करता है। ड. कारण यह आश्वस्त करते हैं कि निर्णय लेने वाले द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों की उपेक्षा करते हुए विवेक का प्रयोग किया गया है।

च. कारण वस्तुतः निर्णय लेने की प्रक्रिया का उतना ही अपरिहार्य घटक बन गए हैं जितना कि न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना।

छ. कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। ज. कानून के शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने का प्राणतत्व है जो इस सिद्धांत को न्यायोचित ठहराता है कि 'कारण ही न्याय की आत्मा है'।

झ. न्यायिक या अर्ध-न्यायिक राय इन दिनों न्यायाधीशों और अधिकारियों के समान भिन्न हो सकती है जो उन्हें प्रदान करते हैं। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो तर्क द्वारा यह प्रदर्शित करना है कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय वितरण प्रणाली में वादियों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

ञ. कारण पर जोर देना न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए एक आवश्यकता है। ट. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति मिसाल (प्रिसिडेंट) के सिद्धांत या वृद्धिशीलवाद (इन्क्रीमेंटलिज्म) के सिद्धांतों के प्रति वफादार है या नहीं।

ठ. निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का ढोंग या 'रबर-स्टैम्प कारण' को वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जा सकता। ड. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पारदर्शिता न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की अनिवार्य शर्त (साइन क्वानॉन) है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय लेने वालों को त्रुटियों के प्रति कम प्रवण बनाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जांच के अधीन भी बनाती है। (देखें डेविड शापिरो, 'इन डिफेंस ऑफ ज्यूडिशियल कैंडोर' (1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731-737)।

ड. चूंकि कारण दर्ज करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना गया था। देखें 'रुज़ा टोरिजा बनाम स्पेन' (1994) 19 EHRR 553, पृष्ठ 562 पैरा 29 और 'अन्या बनाम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय', 2001 EWCA Civ 405 (CA), जिसमें न्यायालय ने मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 6 का उल्लेख किया है, जो आवश्यक बनाता है कि, "न्यायिक निर्णयों के लिए पर्याप्त और बुद्धिमान कारण दिए जाने चाहिए"।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ण. सभी 'कॉमन लॉ' क्षेत्राधिकारों में निर्णय भविष्य के लिए मिसालें स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण देने की आवश्यकता अनिवार्य है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" (ड्यू प्रोसेस) का एक हिस्सा है।"

5. दिनांक 18.09.2025 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त आदेश प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है। इस मामले के दृष्टिगत, न्यायालय की यह राय है कि आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड' (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित कानून के पूर्ण उल्लंघन में और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में पारित किया गया है। अतः इसे रद्द किया जाना उचित है।
6. उपरोक्त के आलोक में, अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अंतर्गत दायर वाद संख्या 1906/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या C202515000001906 (आशुतोष प्रजापति बनाम एस.डी.एस., मार्टीनगंज, आजमगढ़) में पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 रद्द किए जाने योग्य है और एतद्वारा खंडित (क्वैश) किया जाता है।
7. प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करें।
8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

17 फरवरी, 2026

स्वाति।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"